अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
14/11/2023	**न्यायालय आयुक्त,कोशी प्रमंडल, सहरसा** **सेवा अपील वाद संख्याः–137/2014** **गीता देवी एवं अन्य.....अपीलकर्त्ता** **–बनाम–** **राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत सेवा अपीलवाद मनोज कुमार राउत, पिता–स्व0 जागेश्वर राउत, सा0–बरियाही, थाना–वनगाँव, जिला–सहरसा तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सत्तरकटैया, जिला–सहरसा के द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 418/स्था0 दिनांक–22.03.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दाखिल–खारिज मामले में रिश्वत लेते गिरफ्तार किये जाने का आरोप प्रमाणित हो जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(x) एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम–165 एवं 166 के तहत पत्र निर्गत होने की तिथि से "सेवा से बर्खास्त" (Dismiss) कर दिया गया है। अपीलवाद की सुनवाई के दौरान दिनांक–26.09.2020 को अपीलार्थी के मृत्योपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4186 दिनांक–01.03.2023 को प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में उनके विधिक उत्तराधिकारियों यथा–गीता देवी पति–स्व0मनोज कुमार राउत तथा मनीष कुमार राउत व नीतिश कुमार राउत व नेहा कुमारी सभी पिता–स्व0 मनोज कुमार राउत को पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किया जा रहा है। संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :– मनोज कुमार राउत, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, सत्तरकटैया अंचल के विरूद्ध श्री कुन्दन प्रसाद यादव पिता–स्व0 दुखी यादव, ग्राम विशनपुर, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा द्वारा दिनांक–07.11.	

2011 को जिलाधिकारी, सहरसा के जनता दरबार में रिश्वत नहीं दिये जाने पर दाखिल खारिज नहीं किये जाने की शिकायत की गई। उक्त आरोप की पुष्टि जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा आदेश ज्ञापांक–2438 दिनांक–17.11.2011 से जाँच–सह–धावादल गठित करते हुए श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा एवं उमाकान्त राम, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय के नेतृत्व में अन्य सशस्त्र बल को परिवादी के साथ ट्रेपिंग हेतु राजस्व कर्मचारी के हल्का कार्यालय भेजा गया। इस हेतु परिवादी श्री कुन्दन प्रसाद यादव को जिला नजारत शाखा, सहरसा से तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा हस्ताक्षरित 500/–रूपये के 20 नोट कुल–10000/– (दस हजार) रूपये हस्तगत कराते हुए धावादल के साथ भेजा गया। नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत कबीर चौक पर अवस्थित राजस्व हल्का कार्यालय में परिवादी श्री यादव द्वारा दाखिल खारिज के लिए मांगी जा रही राशि में से तत्काल 5,000/– (पाँच हजार) रूपया श्री राउत को दिया गया। तत्पश्चात इशारे से धावादल के सदस्यों को संसूचित किया गया एवं टीम द्वारा धावा बोलकर श्री मनोज कुमार राउत, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी एवं उनके सहयोगी मुंशी बेदानन्द पासवान, पिता–स्व0 रासबिहारी पासवान, ग्राम–सिसई अगवानपुर, थाना–सहरसा सदर, जिला–सहरसा को गिरफतार किया गया तथा तलाशी के क्रम में 500/– रू0 के 10 नोट श्री राउत की जेब से बरामद हुआ। इस स्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा के पत्रांक–944 दिनांक–18.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा को प्रतिवेदित करते हुए थानाध्यक्ष, सहरसा को सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई। तदनुसार श्री राउत के विरूद्ध सहरसा थाना काण्ड सं0–557/2011 दिनांक–18.11.2011 धारा–7/13 (3)(डी) सह 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई तथा श्री राउत को 18.11.2011 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा जिलाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–1502 दिनांक–27.12.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–09(1) क 2 (ख) के अधीन गिरफ्तारी की तिथि–18.11.2011 के प्रभाव से श्री राउत को निलंबित किया गया तथा अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया से उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में अरोप गठित कर आरोप पत्र की मांग की गई।

अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया के पत्रांक-278-2 दिनांक-28.02.2012 द्वारा श्री राउत के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1641 दिनांक-17.12.2012 के द्वारा श्री छठीलाल प्रसाद, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही केश संख्या-09/2012 अंकित करते हुए जाँच की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उनके समक्ष निर्धारित 09 तिथियों में से 07 तिथियों को आरोपी कर्मी उपस्थित रहे किन्तु उनके द्वारा अपने बचाव में कोई स्पष्टीकरण अथवा बयान दर्ज नहीं कराया गया।

कालक्रम में श्री छठीलाल प्रसाद, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के सेवानिवृत हो जाने पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1981 दिनांक-11.11.2013 द्वारा श्री राजीव कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा को नया संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान श्री राउत को पुनः अपने पक्ष में लिखित अथवा मौखिक बयान दर्ज कराने का कई अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा अपना लिखित पक्ष/बचाव बयान नहीं रखा गया। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा अपने पत्रांक-145-2 दिनांक-10.02.2014 से आरोपी कर्मी को आरोप प्रपत्र 'क' की छाया प्रति उपलब्ध कराया गया, तद्यपि अपीलार्थी द्वारा गठित आरोप के संदर्भ में अपना जवाब नहीं दिया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी कर्मी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अपने पत्रांक-219-2 दिनांक-15.02.2014 से जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य साक्ष्य सहित निर्णय हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा को समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी कर्मी श्री मनोज कुमार राउत के विरूद्ध लगाये गये आरोप को स्पष्ट तौर पर प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक-330 दिनांक-24.02.2014 से आरोपी कर्मी को द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने तथा दिनांक-10.03.2014 को उपस्थित होकर

अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। उक्त तिथि को उपस्थित होकर आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा के समीक्षोपरान्त आरोपी कर्मी के विरूद्ध रिश्वत के रूप में 5,000/- (पाँच हजार) रूपया लिये जाने के प्रमाणित आरोप के आधार पर आदेश ज्ञापांक-418/स्था0 दिनांक-22.03.2014 के द्वारा अपीलार्थी को आदेश निर्गत होने की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलवाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से उनके विज्ञ. अधिवक्ता द्वारा दाखिलवाद पत्र में बताया गया है कि द्वितीय कारणपृच्छा दाखिल करते हुए जिला पदाधिकारी, सहरसा को अवगत कराया गया कि उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप शत्रुओं के षडयंत्र का परिणाम है। दाखिल-खारिज कानून में आवेदक को सर्वप्रथम अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करना होता है। तत्पश्चात अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी से प्रतिवेदन मांगे जाने पर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया जाता है। प्रश्नगत मामले में आरोपकर्त्ता श्री कुन्दन प्रसाद यादव के द्वारा इस आशय का आवेदन अंचल अधिकारी, सत्तरकटैया के समक्ष समर्पित नहीं किया गया था। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जाँच पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के द्वौरान न तो आरोपकर्त्ता का बयान लिया गया ना ही उनसे राशि मांगे जाने का साक्ष्य/सबूत प्राप्त किया गया। उनका यह भी कहना है कि तथाकथित जब्ती सूची कानूनी दृष्टि से महत्वहीन है, क्योंकि जब्ती सूची पर अपीलार्थी का हस्ताक्षर नहीं है तथा एक गवाह पुलिस वाहन का चालक है तो दूसरा गवाह काल्पनिक है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विभागीय कार्यवाही का संचालन नियमानुसार नहीं किया गया है क्योंकि बार-बार मांगे जाने पर भी दिनांक-18.12.2013 से 24.01.2014 तक विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान अपीलार्थी को उनके विरूद्ध लगे आरोपों से संबंधित साक्ष्य की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई। जिस कारण अपीलार्थी के द्वारा अपने बचाव में कोई कथन/बयान नहीं किया गया। इस तथ्य को संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी स्वीकार किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगे दोनों आरोपों को स्वतः प्रमाणित पाते हुए प्रतिवेदित किया गया है। उनका कहना है कि नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा भी सेवा से बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व

उक्त तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया गया। तदालोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बर्खास्त राजस्व कर्मचारी स्व0 मनोज कुमार राउत के मृत्योपरान्त उनके विधिक उत्तराधिकारियों के हित में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरान्त परिलक्षित होता है कि स्व0 मनोज कुमार राउत, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध सरकारी कार्य के बदले अवैध राशि लिये जाने का आरोप प्रमाणित है। उक्त आरोप के बचाव में अपीलार्थीगण के द्वारा इस न्यायालय में भी कोई ठोस साक्ष्य/सबूत दाखिल नहीं किया गया हैं। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अनुसार विभागीय कार्यवाही के संचालन में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है तथा जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उक्त नियमावली के नियम-14(x) तथा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम-165 एवं 166 के अन्तर्गत आरोपी राजस्व कर्मचारी को अधिरोपित दण्ड में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तदालोक में इस अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

14/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

14/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा